न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 09/2021

नौरंगराम पुत्र स्व0 श्री धनसीराम उम्र 65 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर,तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. ग्राम पंचायत खानपुर जरिये ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खानपुर पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. श्रीमती मालीदेवी पत्नी धनसीराम जाति जाट निवासी निवासी खानपुर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4. रामचन्द्र पुत्र धनसीराम जाति जाट निवासी निवासी खानपुर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5. रमेश पुत्र धनसीराम जाति जाट निवासी निवासी खानपुर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6. महेन्द्र पुत्र धनसी जाति जाट निवासी निवासी खानपुर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7. राजकुमार पुत्र धनसी जाति जाट निवासी निवासी खानपुर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
जारी करने पट्टा संख्या– 3 दिनांक .03.12.1999
द्वारा ग्राम पंचायत खानपुर पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू।

उपस्थितिः–

1. श्री मनोहरलाल सैनी, एडवोकेट ———निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री विजयपाल सिंह, एडवोकेट ———— ——गैर निगरानीकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 08.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा संख्या–3 दिनांक 03.12.1999 ग्राम पंचायत खानपुर पंचायत समिति बुहाना के विरूद्ध

प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि वह ग्राम खानपुरा की आबादी भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है। निगरानीकार के भाइयों ने ग्राम पंचायत खानपुर से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये निगरानीकार नंबर–3 के पति व गैर निगरानीकार नंबर 4 लगायत 7 के पिता ने ग्राम पंचायत खानपुर से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 3.12.1999 को धनसीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी खानपुर के पक्ष में एक पट्टा कमांक–3 जरिये प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 03.12.1999 जारी किया गया था जो बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी रूप से जारी किया गया था। उक्त पट्टे की जांच विकास अधिकारी बुहाना द्वारा भी की गई थी जिन्होंने ग्राम पंचायत खानपुर से रिकार्ड मांगने पर उक्त पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत खानपुर में नहीं होना लिखित में बताया गया था। पट्टाशुदा भू–खण्ड पर स्व0 धनसीराम का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस संबंध में भूखण्ड के पड़ौसियों ने अपने–अपने शपथ–पत्र पेश किये हैं जिनमें सभी ने उक्त भूखण्ड पर काफी वर्षों से निगरानीकार व उसके परिवारजनों का ही कब्जा बताया है तथा प्रस्ताव संख्या–2 पर जिन पंचों के हस्ताक्षर किये हैं, वे भी उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार ही अपने बच्चों सहित आबाद है। गैर निगरानीकार ने पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की कोई भी जांच किये बिना ही उक्त भूखण्ड पर स्व धनसीराम का कब्जा मानकर पट्टा जारी किया है, जो खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व पंचों की कमेटी द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। पट्टा जारी करने की समस्त प्रक्रिया एक दिन दिनांक 03.12.1999 को सम्पादित की गई हैं। मौके पर भूखण्ड का नाप किये बिना ही गलत नाप दर्ज कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 150 व नियम 167 व 168 में दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। गैर निगरानीकार नंबर 4 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना के समक्ष निगरानीकार व अन्य के विरूद्ध एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे व तथाकथित पट्टे में अंकित भूखण्ड की नपती व उसमें बने मकान, पेड़ पौधों का विवरण भिन्न है। निगरानीकार स्व0 धनसीराम का बड़ा लड़का है। प्रार्थी की मां सरवण देवी का देहान्त जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी डेढ वर्ष का ही था, तभी हो गया था और प्रार्थी के पिता धनसीराम ने माली देवी से दूसरी शादी कर ली थी। निगरानीकार को उसकी सौतेली माता माली देवी ने जब वह 3 वर्ष का ही था तभी उसे जान से मारने की नियत से उसका पालन–पोषण नहीं किया। निगरानीकार के जन्म के समय से ही धनसीराम अपनी कृषि भूमि में बने रिहायसी मकानात में निवास करता था। निगरानीकार उक्त वर्णित पट्टे की भूमि में आकर पक्के मकान आदि बनाकर बस गया, करीब 45 वर्ष से इस भूखण्ड में बसा हुआ है। धनसीराम आदि ने उक्त भूखण्ड पर कभी निवास नहीं किया और ना ही कभी उनका कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत खानपुर ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही उक्त पट्टा जारी किया है। अतः पट्टा संख्या–3 दिनांक 3.12.1999 निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल ग्राम पंचायत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– वह ग्राम खानपुरा की आबादी भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है। निगरानीकार के भाइयों ने ग्राम पंचायत खानपुर से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये निगरानीकार नंबर 3 के पति व गैर निगरानीकार नंबर 4 लगायत 7 के पिता ने ग्राम पंचायत खानपुर से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 3.12.1999 को धनसीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी खानपुर के पक्ष में एक पट्टा क्रमांक 3 जरिये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 3.12.1999 जारी किया गया था जो बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी रूप से जारी किया गया था। उक्त पट्टे की जांच विकास अधिकारी बुहाना द्वारा भी की गई थी जिन्होंने ग्राम पंचायत खानपुर से रिकार्ड मांगने पर उक्त पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत खानपुर में नहीं होना लिखित में बताया गया था। पट्टाशुदा भू–खण्ड पर स्व0 धनसीराम का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस संबंध में भूखण्ड के पड़ौसियों ने अपने–अपने शपथ–पत्र पेश किये हैं जिनमें स[illegible] भूखण्ड पर काफी वर्षों से निगरानीकार व उसके परिवारजनों को ही कब्जा बताया है तथा प्रस्ताव संख्या–2 पर जिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या–3 से 7 ने दौराने बहस कथन किया है कि– अदालत के सामने पट्टा जारी करने के प्रस्ताव आदेश व पट्टा जारी करने के आदेश की सत्य प्रति या असल न होने से ग्राम पंचायत के आदेश या विनिश्चय की संविक्षा करने हेतु कोई सामग्री नहीं है व बिना विचारण सामग्री के न्यायालय द्वारा कोई संविक्षा या कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत आबादी भूमि में पुराने कब्जे/आवासीय मकानों का निगरानीकार के पिता धनसीराम पुत्र पूरण राम के नाम से 2806 रूपये नियमानुसार शुल्का जमा किया जाकर पट्टा संख्या–3 दिनांक 3.12.1999 जारी किया गया था। उक्त पट्टे को 20 साल बाद धनसीराम के पुत्र नोरंगराम द्वारा संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति को अकेले हड़पने के लिए बनावटी कहानी तैयार कर चैलेंज किया गया है। धनसी राम की मृत्यु हो चुकी है। निगरानीकार ने उक्त पट्टासुदा भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि निगराानीकार की अकेले की हो। निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ कुछ लोगों के शपथ–पत्र की फोटो प्रतियां पेश की हैं जिनका कानून में कोई महत्व नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में पट्टा संख्या–3 दिनांक 03.12.1999 को निरस्त कराना चाहा है जिस पट्टा को निरस्त कराना चाहा है न तो वह असल पटटा श्रीमान के यहां पेश किया है व न उस पट्टा की सत्य प्रति पेश की गई है केवल एक अपठनिय फोटो कॉपी पेश है जिससे किसी निणर्य पर नहीं पंहुचा जा सकता । कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जिस दस्तावेज को या आदेश को चैलेन्ज किया जाता है उसकी सत्यप्रति व असल पेश करना आवश्यक है। इस प्रकार श्रीमान के सामने इस निगरानी को खारीज करने के अलावा कोई उपचार नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 1999 (3) राज0 1[illegible] 602, 2015 (4) डीएनजे (राज0) 1853 पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा दिनांक 03.12.1999 का है कानूनन असाधारण विलम्ब के बाद किसी कार्यवाही या पटटे को निगरानी के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है जैसा कि 2012 (2) डीएनजे (राज.) 602 पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1983 व 22/9/1995 को रद्द करने हेतु निगरानी पेश करने में 20 साल का असाधारण विलम्ब निगरानी शक्तियां युक्ति–युक्त अवधि में उपयोग की जानी चाहिए–निगरानी दिनांक 21./ 6/05 को पेश की निर्णित अति0 कलेक्टर को विलम्ब के एक मात्र आधार पर निगरानी खारिज करनी चाहिए थी ।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने 20 साल के विलम्ब को असाधारण विलम्ब माना व केवल मात्र विलम्ब के आधार पर निगरानी खारीज का आदेश दिया है। प्रश्नगत निगरानी 20 साल से अधिक समय बाद पेश हुई है जो केवल मात्र विलम्ब के आधार पर खरीज करना आवश्यक है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (4) डीएनजे (राज0) 1853 पर भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 धारा 97–24 साल बाद आवंटित भूमि का पटटा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की: – अधिनियम में परिसिमा का प्रावधान नहीं –असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं जा सकती। युक्ति युक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिए । निर्णित निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपभोग करने में अतिरिक्त कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है। आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया ।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय व संबंधित अतिरिक्त कलेक्टर ने 24 साल के विलम्ब को असाधारण विलम्ब माना है जबकि यह निगरानी भी 20 साल से अधिक समय बाद पेश हुई है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा स्व0 श्री धनसीराम पुत्र पूरण के नाम से जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 3.12.1999 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है, उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा निगरानीकार के पिता के आवेदन पर आबादी भूमि में 2806/–रूपये बतौर शुल्क जमा करने के उपरांत जारी किया गया है। निगरानीकार नौरंगराम मृतक धनसीराम का पुत्र है। निगरानीकार ने विवादित भूमि पर स्व0 धनसीराम की बजाय स्वयं का व परिवारजनों का कब्जा होना अंकित किया है, इस संबंध में निगरानीकार द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, कुछ लोगों के शपथ–पत्रों की फोटोप्रतियां निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई हैं, जिनकी कानून में कोई महत्व नहीं है। ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा पट्टा संख्या 3 जरिये प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 3.12.1999 को 2806/–रूपये बतौर शुल्क जमा करने के उपरांत जारी किया गया है। पट्टा जारी हुये 20 वर्ष हो चुके हैं, जिसके नाम से पट्टा संख्या–3 जारी हुआ है वह निगरानीकार नोरंग के पिता हैं और जिनका स्वर्गवास भी हो चुका है। ग्राम पंचायत खानपुर ने भी उक्त पट्टे के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना एवं प्रधान पंचायत समिति बुहान को लिखे गये पत्र दिनांक 20.10.2018 में भी उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध होना एवं पट्टे सही होना बताया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा भी अपने पत्रांक 7884 दिनांक 9.1.2019 द्वारा समस्त पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण उक्त पट्टे से संबंधित समस्त पक्षकारों की सहमति बिना कोई कार्यवाही नहीं की जावे, ऐसा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खानपुर को लिखा गया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन कि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। विवादित पट्टा वर्ष 1999 में जारी हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने से उन्हें विधिक प्रावघनों एवं प्रक्रिया की बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। पट्टे जारी करने की प्रक्रिया [illegible] लेकिन हस्तगत निगरानी में पिता और पुत्र के मध्य एक तरह से [illegible] निगरानी में निगरानीकार द्वारा विवादित भूमि के संबंध में ऐसी कोई ठोस [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

यह साबित होता हो कि विवादित भूमि पर निगरानीकार का वर्षों पुराना कब्जा रहा हो और उसका ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया गया हो। इस प्रकार पैत्रिक सम्पति का निगरानीकार के पिता के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या– दिनांक 03.12.1999 को पट्टा जारी होने के 20 वर्ष बाद केवल मात्र निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता । प्रकरण के समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि निगरानीकार व गैर निगरानीकारान जो स्व0 धनसी के वारिसान हैं के मध्य सम्पति को लेकर विवाद है, ऐसी सूरत में उत्तराधिकार के आधार पर मिली सम्पति के हक हिस्से का निर्धारण करवाने के लिए व विभाजन इत्यादि करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने चाहिए । हस्तगत निगरानी में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा स्व. धनसीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना के नाम से जारी पट्टा संख्या–3 दिनांक 03.12.1999 यथावत रखा जाता है। मिसल ग्राम पंचायत खानपुर आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:08 IST
Reason: SelfAttested